न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रेक) कपासन, जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी मणीलाल तीरगर (आर०ए०एस०)

प्रकरण संख्या/330/2025 वाद

दायर दिनांक 06.08.2025

उनवान

1. वृज कंवर पत्नी इन्द्रसिंह जाति राजपूत आयु वयस्क निवासी बनाकियाखुर्द तहसील कपासन जिला चितौड़गढ़ (राज.)।

—वादी

1. मोहनी बैवा मोहन जाति तेली आयु वयस्क निवासी बनाकियाखुर्द तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़। (विलोपित)
2. नानी पिता मोहन जाति तेली आयु वयस्क निवासी बनाकियाखुर्द तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
3. कमली पिता मोहन जाति तेली आयु वयस्क निवासी बनाकियाखुर्द तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
4. चांदी बैवा घीसा जाति तेली आयु वयस्क निवासी बनाकियाखुर्द तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
5. मथरी बैवा घीसा जाति तेली आयु वयस्क निवासी बनाकियाखुर्द तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
6. मनोज पिता घीसा जाति तेली आयु नाबालिग बविलायत माता चांदी मथरी बैवा घीसा निवासी बनाकियाखुर्द तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
7. पुष्पा पिता घीसा जाति तेली आयु नाबालिग बविलायत माता चांदी मथरी बैवा घीसा निवासी बनाकियाखुर्द तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
8. अनु पिता घीसा जाति तेली आयु नाबालिग बविलायत माता चांदी मथरी बैवा घीसा निवासी बनाकिया खुर्द तहसील कपासन जिला चितौडगढ।
9. उपपंजीयन अधिकारी एव भूमिधारी अधिकारी तहसीलदार कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

उपस्थितिः— अधिवक्ता श्री रोशन लाल जाट

—: वाद पत्र अन्तर्गत 53, 188 आर.टी.एक्ट :—

निर्णय दिनांकः 20.01.2026

—:निर्णयः—

संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि वादीया ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 के प्रस्तुत कर निम्न निवेदन किया कि मौजा बनाकिया खुर्द पटवार हल्का सिहपुर तहसील कपासन के हल्के बेरूनी मे स्थित आ०स० 313 रकबा 0.09 है०, आ०स० 314 रकबा 0.30 है० आ०स० 315 रकबा 0.32 है० आ०स० 316 रकबा 0.45 है0, आ०स० 317 रकबा 0.80 है०, आ०स० 318 रकबा 0.30 है० कुल किता 6 कुल रकबा 2.26 है० मे वादीया का 1/2 हक हिस्सा निहित है। मौके पर अपने हक के अनुसार काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रही है। जो बिना बटवारे की आराजीयात है। व निवेदन किया कि पक्षवादीया विरूद्ध प्रतिवादी सं0 1 से 8 के वाद वर्णित कॉलम संख्या 1 में आराजीयात के हक हिस्सा अनुसार बटवारे की डिकी मिट्स एण्ड बॉण्डस के आधार पर डिक्री पारित की जाये। जिससे वादी एवं प्रतिवादी स0 1 से 8 के नाम अलग–अलग खाताबन्दी एवं लगानबन्दी कायम हो सके।

हमने वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। प्रतिवादी संख्या 2 से 8 के विरूद्ध बावजूद सूचना के हाजिर नहीं होने से पूर्व में दिनांक 23.07.2019 को एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। वकील वादीया द्वारा आदेशिका पर हस्ताक्षर कर प्रतिवादी संख्या 1 का नाम हटाये जाने बाबत् निवेदन को स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 का नाम विलोपित किया गया।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), कपासन

उक्त वाद पत्र में दिनांक 19.03.2025 को प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिक्री जारी की गई। जिस पर तहसीलदार कपासन द्वारा बटवाडा रिपोर्ट दिनांक 07.11.2025 से प्रस्तुत की गई। बहस वादीगण अधिवक्ता सुनी गई। वकील वादीगण द्वारा तहसीलदार कपासन से प्राप्त बटवाडा रिपोर्ट अनुसार अंतिम डिक्री किये जाने में कोई आपत्ति प्रस्तुत नही की व अंतिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया। अतः वादीगण अधिवक्ता के निवेदन को स्वीकार किया जाकर आज दिनांक 20.01.2026 को वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिकी इस आशय की दी जाती है की मौजा बनाकिया खुर्द पटवार हल्का सिहपुर तहसील कपासन के हल्के बेरूनी मे स्थित आ०स० 313 रकबा 0.09 है०, आ०स० 314 रकबा 0.30 है० आ०स० 315 रकबा 0.32 है० आ०स० 316 रकबा 0.45 है0, आ०स० 317 रकबा 0.80 है०, आ०स० 318 रकबा 0.30 है० कुल किता 6 कुल रकबा 2.26 है० में तहसीलदार कपासन से प्राप्त बटवाडा रिपोर्ट दिनांक 07.11.2025 के अनुसार निम्नानुसार बटवाडा किया जाता है–

1. बृजकंवर पत्नी इन्द्रसिंह जाति राजपूत सा0 देह खातेदार

क.स.	आ0स0	रकबा (है0)	किस्म
1	313	0.09	रास्ता
2	316/1	0.09	बारानी 2
3	317	0.80	पडत 1
योग	कुल किता–03	0.98	

2. कमली, नानी पुत्रीयां मोहन हिस्सा 1/2 जाति तेली सा0 देह खातेदार, नाबालिग अनु, पुष्पा, मनोज पिता घीसा, चांदी, मथरी पत्नी घीसा हिस्सा 1/2 जाति तेली सा0 देह खातेदार नाबालिग अनु, पुष्पा, मनोज संरक्षक सरपरस्त माता चान्दी

क.स.	आ0स0	रकबा (है0)	किस्म
1	314	0.30	पडत 1
2	315	0.32	बारानी 2
3	316/2	0.36	बारानी 2
योग	कुल किता–03	0.98	

3. बृजकंवर पत्नी इन्द्रसिंह हिस्सा 1/2 जाति राजपूत सा0 देह खातेदार, कमली, नानी पुत्रीयां मोहन हिस्सा 1/4 जाति तेली सा0 देह खातेदार, नाबालिग अनु, पुष्पा, मनोज पिता घीसा, चांदी, मथरी पत्नी घीसा हिस्सा 1/4 जाति तेली सा0 देह खातेदार नाबालिग अनु, पुष्पा, मनोज संरक्षक सरपरस्त माता चान्दी

क.स.	आ0स0	रकबा (है0)	किस्म
1	318	0.30	पडत 1 – 0.20 रास्ता – 0.10
योग	कुल किता–01	0.30	

तदनुसार अंकन हो। रहन बदस्तुर रहे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगें, अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो व पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 20.01.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मणीलाल तीरगर)
सहायक कलक्टर
(फास्ट–ट्रेक) कपासन

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) कपासन, जिला-चित्तौड़गढ़